सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Agriculture
(Department of Agriculture and Cooperation)
Krishi Bhawan, New Delhi – 110001

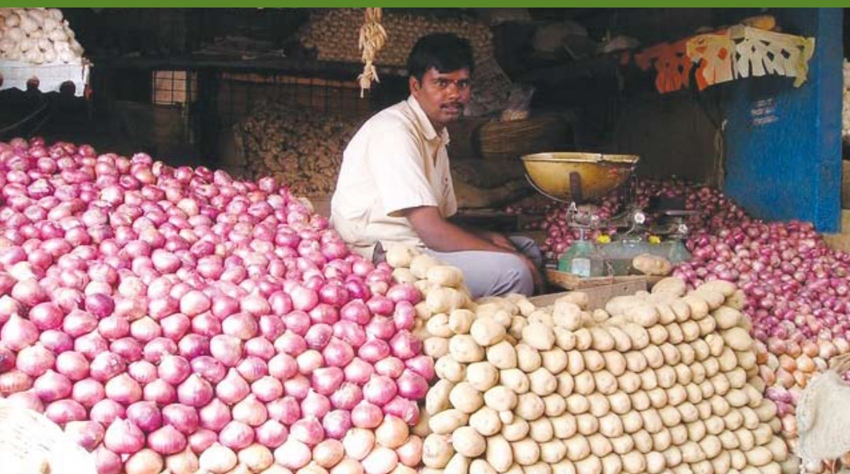

Operational Guidelines for PRICE STABILISATION FUND (PSF)

March 2015

Operational Guidelines for PRICE STABILISATION FUND (PSF)

1. Introduction

1.1 Prices of some of the horticulture commodities especially onion and potato are highly volatile. At the harvest time and soon thereafter, a steep fall in the wholesale and retail prices is normally observed. With depletion of the stored stocks, the prices tend to increase. This phenomenon is more apparent in the case of onions and potatoes. Price volatility affects consumers in a big way. Abnormal increase in price of these commodities affect the consumers by way of increase in food consumption budget. Wide price fluctuations also lead to speculation which further impact prices in retail market.

1.2 To mitigate hardships to consumers, a new central sector scheme for providing working capital and other incidental expenses for procurement and distribution of perishable agri-horticultural commodities has been approved. For this purpose, a corpus – "Price Stabilisation Fund" is being created. The intervention is expected to regulate price volatility through procurement by State/ UT Government and Central agencies of selected produce, maintenance of buffer stocks and regulated release into the market.

1.3 To begin with, interventions would be supported for onions and potatoes only. However, other commodities may be added later.

2. Objectives

2.1 To promote direct purchase from farmers /farmers' associations at farm gate/Mandi.

2.2 To maintain a strategic buffer stock that would discourage hoarding and unscrupulous speculation.

2.3 To protect consumers by supplying such commodities at reasonable prices through calibrated release of stock.

3. Creation of Corpus fund and its Management by Price Stabilisation Fund Management Committee (PSFMC) and other Incidental Arrangements Relating to Funds

3.1 Corpus Fund and its Management

3.1.1 It has been decided to create a corpus of ₹ 500 cr. for providing interest free advance towards working capital to eligible proposals from State Governments/Union Territories (UTs) and Central Agencies to enable procurement of perishable agri-horticulture produce. The fund shall be called "Corpus Fund for Procurement and Distribution of Identified Agri-Horticultural Commodities" (referred to as the Central Corpus Fund in this document). To begin with it will be used for Onion and Potato ("notified agri-horticultural commodities"). A separate savings bank account as **"Corpus fund for procurement and distribution of perishable agri-horticultural commodities"** shall be opened by Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC), which will act as Fund Manager, and the amount made available by the Government would be kept in this account. The account will be in a nationalised bank with flexi deposit facility. SFAC will also maintain separate account of receipts and expenditure from the Central Corpus Fund, and will report to the Member Secretary, PSFMC.

3.1.2 From the Central Corpus fund interest free working capital advance would be provided in two streams:

Stream A - A onetime interest free advance to the States/UTs based on their first proposal for market intervention for price control, as evaluated by their State/UT Level Committee. This advance to the State Governments/UTs will, however, only be released into a revolving fund account set up for the purpose by the State Government/UT and to which the State Government/UT will contribute an equal amount. In case of North Eastern States, the Central advance will constitute 75% of the State/UT Corpus and contribution of NE States will be 25%.

Stream B - Interest free advance to the Central agencies based on their proposal for market intervention for price control. This will be set up as a revolving fund.

Advance received cannot be utilised for any other purpose by any recipient agency.

3.1.3 When retail prices of notified agri-horticultural commodities are anticipated to increase substantially, then their procurement could be undertaken from farm gate/mandi to reduce the cost of intermediation and made available at a cheaper price to the consumers.

3.1.4 The accounts for **Stream A** and **Stream B** will be settled as on 31st March, 2017 or at any further date decided by PSFMC. Losses if any, incurred by Central Government agencies, on account of their interventions under this scheme, will be met out of this Central Corpus Fund. However, losses incurred in the case of interventions by State Governments/UTs will be met from Central Corpus Fund only to the extent of 50% (75% in case of North Eastern States).

3.1.4.1 At the time of closure of accounts, profits earned on interventions will plough back into the Central Corpus Fund to the extent of 100% in case of Central Government agencies and 50% in case of State Government/UT (75% in case of North Eastern States). PSFMC may consider providing some incentive from the Central Corpus Fund, to Central Government agencies in case there are profits on account of the interventions.

3.1.4.2 At the time of closure of accounts on 31st March, 2017 or any further date decided by PSFMC, the balance amount of advance after adjusting losses/profits shall be refunded to the Central Government by the States/UTs and the Central Agencies.

3.1.5 In order to determine the amount of profit/loss in the operations, the admissible items of overhead costs, may include labour, grading, packaging, transport, storage, local & mandi taxes, and all other statutory levies. In addition, service charges as specified in para 4.2.6 will be treated as operational expenses for the purpose of calculating profit/loss.

3.1.6 Accrued interest will be deemed to be a part of the Central Corpus Fund and will be utilised for the purpose for which the Fund is created.

3.1.7 No diversion of either the Central Corpus Fund or the interest accrued thereon is permitted. The accounts of the Fund will be subject to audit by Comptroller and Auditor General (CAG) of India.

3.1.8 Expenditure by the department/fund manager on scheme administration, monitoring etc, limited to 1% of the advances made in a year, duly approved by PSFMC may be met from the Fund.

3.1.9 Fund Manager shall submit to the Ministry a Statement in form GFR 20 showing the details of outstanding loans from the Fund as on 31st March, 2016 and again on 31st March, 2017. This Statement should indicate the aggregate of outstanding balance of loans, details of defaults, if any, in repayment of the sanctioned loan against each loan account. (Rule 232 of GFRs). PSFMC will review the situation for taking appropriate action.

3.1.10 Releases from the Fund will be made subject to approval of PSFMC only.

3.2 Price Stabilisation Fund Management Committee (PSFMC)

3.2.1 The Fund shall be managed by a “Price Stabilisation Fund Management Committee" (PSFMC) under the Chairmanship of Secretary (DAC) with the following members:-

1.	Additional Secretary, DAC (In charge of Marketing)	–	Member
2.	AS&FA, DAC	–	Member
3.	Joint Secretary (Deptt of Consumer Affairs)	–	Member
4.	Joint Secretary, DAC (Crops)	–	Member
5.	Joint Secretary, DAC (Horticulture)	–	Member
6.	Chairman & Managing Director, Food Corporation of India	–	Member
7.	Managing Director, National Horticulture Board	–	Member
8.	Joint Secretary, DAC (Marketing)	–	Member Secretary

3.2.2 PSFMC will invite, appraise and approve proposals received from State Governments/UTs and Central Agencies. PSFMC will approve the amount of advance.

3.2.3 PSFMC will take decisions regarding investing surplus available in the Central Corpus Fund, in other bank instruments like fixed deposits, etc for better returns. While doing so, it will be guided by extant guidelines on this subject.

3.2.4 PSFMC will monitor the progress of implementation of the Price Stabilisation Operations by the implementing agency. PSFMC will advise suitable measures/corrective actions, if any, during the course of implementation, keeping in view the overall aim & objective of the scheme.

3.2.5 PSFMC will meet regularly to review the wholesale and retail prices of essential agri-horticulture commodities and will guide/propose required interventions.

4. Procedure for availing working capital advance from the Central Corpus Fund

4.1 Advance from the Central Corpus Fund can be availed by State Governments/UTs and Central Govt. Agencies wanting to make interventions for which they will submit specific project proposals to PSFMC.

4.2 Submission of proposals by State Government/Union Territory (UT) Administration & Central Govt. Agencies

4.2.1 State Governments/UT Administrations will designate a nodal administrative department for this scheme. Proposal of State/UT level agencies and Central agencies, wherever requisitioned by States/UTs, will be routed through the nodal department in the State/UT Government after evaluation by the State/UT level Committee and addressed to the Member Secretary. In case of market intervention proposals of Central Govt. agencies, they may submit directly to the Member Secretary.

4.2.2 The advance from Govt. of India to the State Governments/UTs based on their first proposal will be released subject to prior setting up of Corpus Fund account by the State Governments/UTs at their level for the purpose. The States/UTs will further also contribute equally to this fund i.e. in the ratio of 50:50 between the State Governments/UTs and Government of India. The ratio in the fund between States/UTs and the Government of India in case of North East States will be 25:75. The corpus thus created will function as a revolving fund for providing interest free working capital advance for all future market interventions at the State/UT level. Accounts of the State/UT level revolving fund will be settled with the Centre on 31st March, 2017 or on a further date if decided subsequently by PSFMC.

(i) States/UTs will also notify a Committee which will manage this fund and receive proposals from State/UT Agencies/Central Agencies for carrying out procurement of notified agri-horticultural Commodities for stabilisation of market prices.

(ii) The Contribution of GoI to the corpus will however be limited by the proposal submitted by the State/UT Government to PSFMC and approval accorded by PSFMC subject to availability of funds.

(iii) PSFMC may decide to prescribe a ceiling for contribution to be made by GoI to the State/UT Corpus.

(iv) The overall losses incurred (if any) in conduct of market intervention operations under the scheme will be shared in the ratio of 50:50 between States/UTs & GoI (25:75 in case of NE States), the Central share being subject to the ceiling of its contribution to the Corpus.

(v) Profits, if any, will also be shared in the same ratio at the time of settlement of funds with the Central Corpus Fund.

(vi) The liability of GoI in cases of losses will be limited to the operations undertaken against the total amount specified in the Corpus (in the ratio of 50:50 or 25:75 as the case may be) at the time of approval by PSFMC. Profits generated, if any, will be ploughed back to the Corpus and shall be used in subsequent procurement operation under the scheme.

(vii) The States/UTs will submit a consolidated proposal to PSFMC at the first instance clearly outlining the need for carrying out such procurement along with details of notification of the Committee at the State/UT level, the designated Fund Manager and the agencies designated for carrying out the procurement, the probable places for procurement, storage and plan for disposal etc. The proposal should be approved by the State/UT Level Committee.

(viii) The State/UT Committee shall have to ensure creation of detailed protocols of price & quality for procurement, storage, packaging, transportation etc and the concerned agency carrying out procurement shall be responsible for adhering to all the norms prescribed.

(ix) The fund in the State/UT Corpus shall be used for procurement of notified agri-horticultural commodities and the receipts of sale and profits shall be ploughed back into the State/UT Corpus Fund. State/UT Government shall open a separate A/c in a Nationalised bank with flexi deposit facility.

(x) States/UTs may consider proposals of implementing agencies against a Bank Guarantee equivalent to the advance sought.

(xi) The State/UT Corpus shall be liable for audit by CAG.

(xii) In case of any doubt regarding objective of the fund, conditions and procedure for setting up of the State/UT level Committee and the Corpus Fund and its usage, it is stated that these shall be the same in all respects as for PSFMC at the Centre and the Central Corpus Fund.

4.2.3 The proposal should include*, inter alia,* need for interventions backed by likely production data**,** prevailing and anticipated market prices (likely market prices in coming 2-6 months as well as historical data of prices over last 2-3 years), the quantity to be procured, amount of working capital requirement. The proposal will outline the methodology of procurement including procurement centres and maintenance of stocks, details of storage/cold storage locations and arrangements with owners of such storages. To the extent feasible, the procured produce should be stored in warehouses accredited under WDRA.

4.2.4 To the extent possible, the procurement should be directly from the grower farmers or FPOs/FPCs of such produce at farm gate/Mandi and prompt payment to them should be ensured.

4.2.5 The implementing agency will be required to maintain subsidiary accounts of the interest free advance/loan and audited statement of accounts, along with profit & loss statement, income & expenditure statement, and detailed physical & financial progress report and provide to SFAC/DAC a final statement of settlement of the accounts.

4.2.6 Service charges admissible for the implementing agency will be upto 2.5% of procurement price i.e. net payment to the farmers for procuring the produce.

4.2.7 For procurement by Central Agencies of National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) and SFAC, they will jointly prepare along with National Horticultural Research and Development Foundation (NHRDF) a detailed prescriptive manual in a time bound manner. The manual will detail quantity/quality parameters and all precautions necessary for every operation at each stage of procurement/distribution. The manual will be approved by the Executive Body chaired by MD, SFAC.

4.2.8 In case of proposals of Agencies other than State Governments/UTs and wholly owned Govt. Companies, a loan Agreement specifying all the terms and conditions shall be executed. A clause shall invariably be inserted in all such Agreements enabling Government at any time to call for accounts of the applicant relating to any accounting year with power to depute an officer specially authorised for this purpose to inspect the applicant's books, if necessary.

4.2.9 In the Agreement/Sanction Letter, prompt repayment should be made a condition for the grant of interest-free loans. The sanction letter in such cases should provide that in the event of any default in repayment, interest at rates prescribed by Govt. from time to time will be chargeable on the loans.

5. Implementation Period

Scheme will be implemented during 2015-16 to 2016-17. The Fund may be allowed to roll on to future years also.

6. Revision of Scheme Guidelines

Based on experience acquired in the initial period of operation of the scheme, the scheme may be modified, if required.

Notes

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001

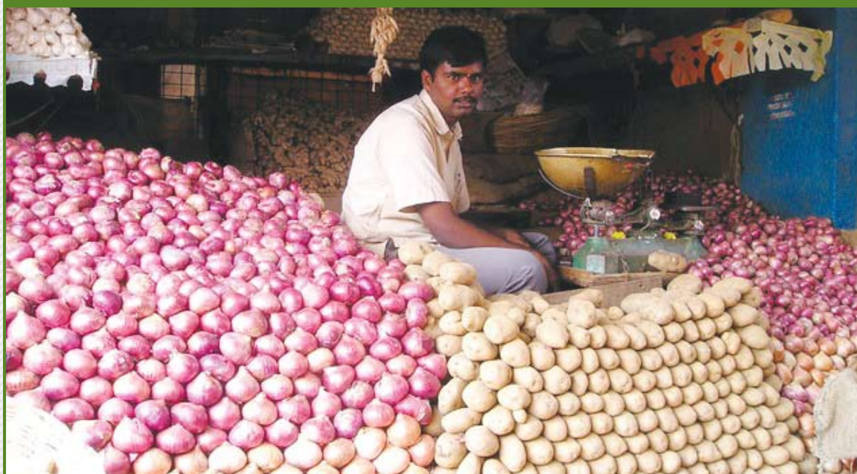

मूल्य स्थिरीकरण फंड (पी.एस.एफ.)
के प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

मार्च 2015

मूल्य स्थिरीकरण फंड (पी.एस.एफ.) के प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 कुछ बागवानी जिन्सों, विशेषकर प्याज और आलू की कीमतें अत्यधिक परिवर्तनशील होती हैं। आमतौर पर कटाई के समय और उसके तत्काल बाद थोक और खुदरा कीमतों में काफी अधिक गिरावट देखी जाती है। भंडारित स्टॉक के घटने के साथ–साथ कीमतें बढ़ने लगती हैं। प्याज और आलू के मामले में यह स्थिति अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। कीमतों की परिवर्तनशीलता से उपभोक्ता बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इन जिन्सों की कीमतों में असामान्य वृद्धि होने से उपभोक्ताओं का खाधखपत बजट बढ़ जाता है। कीमतों में व्यापक रुप से होने वाली परिवर्तनशीलता से सट्टेबाजी को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे खुदरा बाजार की कीमतों पर और अधिक असर पड़ता है।

1.2 उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से शीघ्र खराब होने वाली कृषि बागवानी जिन्सों की खरीद व उनके वितरण हेतु कार्यशील पूंजी तथा अन्य आकस्मिक खर्च उपलब्ध कराने के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना अनुमोदित की गई है। इसके लिए "मूल्य स्थिरीकरण फंड" के नाम से एक समग्र निधि तैयार की गई है। उम्मीद है कि इस हस्तक्षेप से केन्द्रीय/राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से चुनिंदा उपज की खरीद, बफर स्टॉक के रखरखाव और मार्केट में रेग्यूलेटिड रिलीज के द्वारा कीमतों की परिवर्तनशीलता पर नियंत्रण हो सकेगा।

1.3 प्रारंभ में ये हस्तक्षेप केवल प्याज और आलू के मामले में लागू किए जाएंगे। तथापि, बाद में अन्य जिन्सों को शामिल किया जा सकता है।

2. उद्देश्य

2.1 अभिनिर्धारित/नामोद्दिष्ट केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों द्वारा फार्म गेट/मंडी में कृषकों/कृषक संघों से सीधी खरीद को बढ़ावा दिया जाना।

2.2 योजनाबद्ध तरीके से बफर स्टॉक का रख–रखाव किया जाना जिससे जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोका जा सकेगा।

2.3 स्टॉक को संतुलित रुप से रिलीज करके और उचित मूल्य पर जिन्सों की सप्लाई करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

3. कार्पस फंड का सृजन और मूल्य स्थिरीकरण फंड मैनेजमेंट समिति (पी.एस.एफ.एम.सी.) द्वारा इसका प्रबंधन तथा फंड से संबंधित अन्य आकस्मिक प्रबंध

3.1 कार्पस फंड और इसका प्रबंधन

3.1.1 यह निर्णय लिया गया है कि शीघ्र खराब होने वाली कृषि बागवानी उपज की खरीद हेतु राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्रों और केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त सही प्रस्तावों पर कार्यशील पूंजी हेतु ब्याजमुक्त अग्रिम उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का कार्पस फंड तैयार किया जाए। यह फंड "चुनिंदा कृषि–बागवानी जिन्सों की खरीद और वितरण के लिए कार्पस फंड" कहलाएगा (जिसे इस दस्तावेज में आगे सेंट्रल कार्पस फंड के रुप में संदर्भित किया जाएगा)। प्रारंभ में इस फंड का उपयोग प्याज और आलू ("अधिसूचित कृषि बागवानी जिन्सों") के लिए किया जाएगा। लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एस.एफ.ए.सी.) द्वारा **"शीघ्र खराब होने वाली कृषि–बागवानी जिन्सों की खरीद के लिए कार्पस फंड"** नाम से पृथक सेविंग बैंक अकाउंट खोला जाएगा जो फंड मैनेजर के रुप में कार्य करेगा और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि इस फंड में रखी जाएगी। यह अकाउंट वरीयतः राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा जिसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट की सुविधा रहेगी। सेंट्रल कार्पस फंड से होने वाली प्राप्तियों और खर्च के लिए एस.एफ.ए.सी. द्वारा एक अलग खाता का रखरखाव किया जाएगा और इसकी सूचना सदस्य सचिव पी.एस.एफ.एम.सी. को दी जाएगी।

3.1.2 सेंट्रल कार्पस फंड से ब्याजमुक्त कार्यशाल पूंजी अग्रिम दो स्ट्रीम में प्रदान किया जाएगा

स्ट्रीम एः मूल्य नियंत्रण हेतु मंडी हस्तक्षेप के लिए तैयार किए गए प्रथम प्रस्ताव का मूल्यांकन उनकी राज्य स्तरीय/केन्द्रशासित क्षेत्र समिति द्वारा किए जाने के बाद राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को एकमुश्त ब्याज मुक्त अग्रिम दिया जाएगा। लेकिन, राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को दिया जाने वाला यह एडवांस, राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्र द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए आवर्ति निधि में ही निर्मुक्त किया जाएगा और इस फंड में समान राशि राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा भी डाली जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, राज्य कार्पस निधि का 75% केन्द्रीय अग्रिम होगा और पूर्वोत्तर राज्यों का योगदान 25% होगा ।

स्ट्रीम बीः केन्द्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त अग्रिम मूल्य नियंत्रण हेतु मंडी हस्तक्षेप के उनके प्रस्ताव के आधार पर दिया जाएगा। इसे आवर्ति निधि के रुप में स्थापित किया जाएगा।

प्राप्तकर्ता एजेंसी, प्राप्त किए गए अग्रिम का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं कर सकेगी।

3.1.3 जब अधिसूचित कृषि–बागवानी जिन्सों का खुदरा मूल्य काफी बढ़ने की संभावना हो तो बिचौलियों की लागत को कम करने के लिए ऐसी कृषि–बागवानी जिन्सों की खरीद फार्म गेट/मंडी से की जा सकती है और उन्हें सस्ते दामों पर उपभोक्ताओं को मुहैया कराया जा सकता है।

3.1.4 **स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी** से संबंधित लेखे को 31 मार्च, 2017 को अथवा पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा यथानिर्धारित किसी अगली तारीख को निर्धारित किया जाएगा। केन्द्र सरकार की एजेंसियों को इस योजना के अंतर्गत उनके

हस्तक्षेपों के कारण होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, की भरपाई इस केन्द्रीय कॉर्पस निधि से की जाएगी। तथापि, राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के हस्तक्षेप के मामले में हुए नुकसान की केवल 50% सीमा तक (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75%) प्रतिपूर्ति केन्द्रीय कॉर्पस निधि द्वारा की जाएगी।

3.1.4.1 खाता को बंद करते समय, हस्तक्षेपों से अर्जित हुई लाभ की राशि, केन्द्र सरकार की एजेंसियों के मामले में 100% तथा राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्र के मामले में 50% की सीमा तक (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75%) वापस केन्द्रीय कार्पस निधि में जमा की जाएगी। हस्तक्षेपों के कारण हुए लाभ के मामले में मूल्य स्थिरीकरण फंड मैनेजमेंट समिति (पी.एस.एफ.एम.सी.) केन्द्र सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय कार्पस फंड से कुछ इन्सेंटिव देने पर विचार कर सकती है।

3.1.4.2 31 मार्च, 2017 अथवा पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा यथानिर्धारित किसी अगली तारीख को लेखे बंद करते समय नुकसान/लाभ की राशि को समायोजित करने के पश्चात शेष अग्रिम राशि, राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा केन्द्र सरकार को वापस कर दी जाएगी।

3.1.5 इन संचालन कार्यों में होने वाले लाभ/नुकसान की राशि को निर्धारित करने के लिए, अतिरिक्त लागतों की स्वीकार्य मदों में श्रम, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, लोकल एवं मंडी कर तथा अन्य सभी सांविधिक करों को शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लाभ/नुकसान की गणना करने के लिए पैरा 4.2.6 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा प्रभारों को भी संचालन खर्च समझा जाएगा।

3.1.6 उपार्जित ब्याज राशि को केन्द्रीय कार्पस निधि का हिस्सा माना जाएगा और इसका उपयोग उस कार्य के लिए किया जाएगा जिस कार्य के लिए फंड तैयार किया गया है।

3.1.7 केन्द्रीय कार्पस फंड अथवा उससे उद्भूत ब्याज की राशि को किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। फंड से संबंधित लेखा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगे।

3.1.8 संबंधित विभाग/फंड मैनेजर द्वारा योजना के संचालन, मानिटरिंग इत्यादि पर किए गए खर्च को पी.एस.एफ.एम.सी. से विधिवत स्वीकृति लेकर वर्ष के दौरान लिए गए अग्रिम के 1% की सीमा तक, इस फंड में से पूरा किया जा सकता है।

3.1.9 फंड मैनेजर द्वारा फार्म जी.एफ.आर. 20 में एक विवरण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें 31 मार्च, 2016 और फिर 31 मार्च, 2017 तक फंड की बकाया ऋण राशि का ब्यौरा दर्शाया जाएगा। इस विवरण में कुल बकाया ऋण राशि तथा प्रत्येक ऋण लेखो के संबंध में स्वीकृत किए गए ऋण की वापसी में हुई त्रुटी, यदि हुई हो, का ब्यौरा दर्शाया जाएगा (जी.एफ.आर. का नियम 232)। उचित कार्रवाई करने के लिए पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

3.1.10 पी.एस.एफ.एम.सी. के अनुमोदन के पश्चात ही फंड से कोई राशि निर्मुक्त की जाएगी ।

3.2 मूल्य स्थिरीकरण फंड मैनेजमेंट समिति (पी.एस.एफ.एम.सी.)

3.2.1 इस फंड का प्रबंधन सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों वाली "मूल्य स्थिरीकरण फंड मैनेजमेंट समिति" द्वारा किया जाएगा:

1)	अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग (प्रभारी, विपणन)	–	सदस्य
2)	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग	–	सदस्य
3)	संयुक्त सचिव (उपभोक्ता मामले विभाग)	–	सदस्य
4)	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग (फसल)	–	सदस्य
5)	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग (बागवानी)	–	सदस्य
6)	चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम	–	सदस्य
7)	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	–	सदस्य
8)	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग (विपणन)	–	सदस्य सचिव

3.2.2 पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र सरकारों और केन्द्रीय एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के पश्चात प्राप्त हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन किया जाएगा। अग्रिम की राशि का अनुमोदन पी.एस.एफ. एम.सी. द्वारा की जाएगी।

3.2.3 बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा केन्द्रीय कार्पस फंड में उपलब्ध अतिरिक्त राशि को अन्य बैंक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आदि में निवेश करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ऐसा करते समय इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों की मदद ली जाएगी।

3.2.4 पी.एस.एफ.एम.सी., कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कार्यों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति को मॉनिटर करेगी। पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा योजना के समग्र लक्ष्य एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसके कार्यान्वयन के दौरान उचित उपायों/सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की सलाह दी जाएगी।

3.2.5 आवश्यक कृषि बागवानी जिन्सों के थोक और खुदरा मूल्यों की समीक्षा के लिए पी.एस.एफ.एम.सी. नियमित रुप से बैठक करेगी तथा अपेक्षित हस्तक्षेपों के लिए मार्गदर्शित/प्रस्तावित करेगी।

4. केन्द्रीय कार्पस फंड से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने की प्रक्रिया

4.1 हस्तक्षेपों की इच्छुक राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रों सरकारों और केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय कॉर्पस फंड से अग्रिम लिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों को पी.एस.एफ.एम.सी. को प्रस्तुत करना होगा।

4.2 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) प्रशासन और केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

4.2.1 इस स्कीम के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नोडल प्रशासनिक विभाग नामोद्दिष्ट किए जाएंगे। राज्य स्तरीय/केन्द्रशासित क्षेत्र एजेंसियों और केन्द्रीय एजेंसियों के प्रस्ताव, जहां कहीं राज्यों/

केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा आवश्यक समझा जाएगा वहां ऐसे प्रस्ताव राज्य स्तरीय/केन्द्रशासित क्षेत्र समिति द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र के नोडल विभाग के माध्यम से सदस्य सचिव को भेजे जाएंगे। केन्द्र सरकार की एजेंसियां अपने मंडी हस्तक्षेप प्रस्तावों को सीधे सदस्य सचिव को भेज सकती हैं।

4.2.2 राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रथम प्रस्ताव के आधार पर उन्हें भारत सरकार द्वारा अग्रिम तभी जारी किया जा सकेगा जब राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा, इस उद्देश्य के लिए अपने स्तर पर पहले ही कार्पस फंड लेखा स्थापित कर लिया जाएगा। इस फंड में राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा भी बराबर की राशि जमा की जाएगी अर्थात राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों और भारत सरकार के बीच **50:50** का अनुपात रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में राज्यों और भारत सरकार के बीच **25:75** का अनुपात रहेगा। इस प्रकार से तैयार कार्पस, राज्य स्तर/केन्द्रशासित क्षेत्र पर भविष्य में किए जाने वाले सभी मंडी हस्तक्षेप के लिए ब्याज मुक्त पूंजी उपलब्ध कराने हेतु आवर्ती निधी के रुप में कार्य करेगा। राज्य स्तरीय/केन्द्रशासित क्षेत्र आवर्ती निधी के लेखे का केन्द्र सरकार के साथ निपटान 31 मार्च, 2017 को अथवा पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा बाद में निर्धारित की गई किसी अगली तिथि को किया जाएगा।

(i) राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा एक समिति भी अधिसूचित की जाएगी जो इस फंड का प्रबंधन करेगी और बाजार–मूल्यों के स्थिरीकरण हेतु अधिसूचित कृषि–बागवानी जिन्सों की खरीद के लिए राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र एजेंसियों/केन्द्र एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त करेगी ।

(ii) तथापि, कार्पस में भारत सरकार का अंशदान राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्र द्वारा पी.एस.एफ.एम.सी. को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार परिसीमित किया जाएगा और पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा किया गया अनुमोदन फंड की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

(iii) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र कार्पस में भारत सरकार के अंशदान की अधिकतम सीमा का निर्धारण पी.एस.एफ.एम.सी. द्वारा किया जा सकता है।

(iv) योजना के अंतर्गत मंडी हस्तक्षेप कार्य चलाने में होने वाले समग्र नुकसान (यदि कोई हो) को भी राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों और भारत सरकार के बीच **50:50** के अनुपात में (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में **25:75**) शेयर किया जाएगा। केन्द्र का शेयर कॉर्पस में उसके योगदान की सीमा के अध्यधीन होगा।

(v) लाभ की राशि, यदि कोई हो, को भी केन्द्रीय कार्पस फंड के साथ फंड निपटान के समय इसी अनुपात में शेयर किया जाएगा।

(vi) नुकसान के मामले में भारत सरकार की देयता पी.एस.एफ.एम.सी. के अनुमोदन के समय कार्पस में विनिर्दिष्ट कुल राशि को ध्यान में रखते हुए शुरु किए गए कार्यो तक (**50:50** अथवा **25:75** के अनुपात में, जैसा भी मामला हो) सीमित की जाएगी। उपार्जित लाभ राशि, यदि कोई हो, को वापस कार्पस में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग बाद में योजना के अंतर्गत किए जाने वाले खरीद कार्यो में किया जाएगा।

(vii) प्रारंभ में राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा पी.एस.एफ.एम.सी. को एक समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें इस प्रकार की खरीद करने की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाएगा तथा साथ ही राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र स्तर पर समिति की अधिसूचना, नामोद्दिष्ट फंड मैनेजर, खरीद करने हेतु नामोद्दिष्ट एजेंसियों, खरीद एवं भंडारण के संभावित स्थानों, निपटान के लिए योजना आदि का ब्यौरा दिया जाएगा। यह प्रस्ताव राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(viii) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र समिति द्वारा खरीद, भंडारण, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट आदि के लिए मूल्य एवं गुणवत्ता के संबंध में व्यापक प्रोटोकॉल तैयार करने होंगे तथा खरीद करने वाली संबंधित एजेंसी निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ix) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र कॉर्पस में उपलब्ध फंड का उपयोग अधिसूचित कृषि–बागवानी जिन्सों की खरीद के लिए किया जाएगा तथा बिक्री और लाभ की राशियां वापस राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र कॉर्पस फंड में जमा की जाएंगी। राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र सरकार द्वारा फ्लेक्सी डिपॉजिट सुविधा वाले किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग खाता खुलवाया जाएगा।

(x) राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मांगे गए अग्रिम के बराबर सरकारी/बैंक गारंटी दी गई हो।

(xi) राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र कॉर्पस की सी.ए.जी. द्वारा लेखा परीक्षा की जा सकेगी।

(xii) फंड के उद्देश्यों, राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र स्तरीय समिति गठित करने की शर्तों व प्रक्रियाओं तथा कॉर्पस फंड व उसके उपयोग के संबंध में किसी तरह का संदेह होने की स्थिति में यह उल्लेख किया जाता है कि इन सभी मामलों में ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो केन्द्र स्तर पर पी.एस.एफ.एम.सी. और केन्द्रीय कॉर्पस फंड के मामले में अपनाई जाती है।

4.2.3 प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ–साथ, हस्तक्षेपों की आवश्यकता के समर्थन में संभावित प्रोडक्शन डाटा, मौजूदा और संभावित मंडी मूल्य (आगामी 2–6 महीनों के संभावित मंडी मूल्य के साथ–साथ पिछले 2–3 वर्षों की अवधि में मूल्यों का हिस्टारिकल डाटा) की जाने वाली खरीद की मात्रा और अपेक्षित कार्यशील पूंजी राशि का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव में, खरीद केन्द्रों और स्टॉक के रख–रखाव, स्टोरेज/कोल्ड स्टोरेज स्थानों के ब्यौरे और ऐसे स्टोरेज के मालिकों द्वारा की गई व्यवस्था सहित खरीद की प्रक्रिया की रुपरेखा बताई जानी चाहिए। खरीदी गई उपज का भंडारण व्यवहार्य सीमा तक डब्लू.डी.आर.ए. के तहत प्रत्यायित मालगोदामों में किया जाना चाहिए।

4.2.4 जहां तक संभव हो, खरीद सीधे उत्पादक किसानों से या ऐसी उपज के एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. से फार्म गेट/मंडी पर की जानी चाहिए और उनके लिए शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4.2.5 कार्यान्वयन एजेंसी के लिए यह जरुरी होगा कि वह ब्याज मुक्त अग्रिम/ऋण के लिए सहायक खाते का रखरखाव करे, लाभ–हानि, आय–व्यय के विवरण सहित लेखो के लेखा परीक्षा विवरण तथा विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट तैयार करे और लेखो के निपटान का अन्तिम विवरण एस.एफ.ए.सी./डी.ए.सी. को उपलब्ध कराए।

4.2.6 कार्यान्वयन एजेंसी को दिए जाने वाले सेवा प्रभार, खरीद मूल्य अर्थात उपज की खरीद के लिए किसानों को किए गए कुल भुगतान के **2.5%** तक स्वीकार्य होंगे।

4.2.7 राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) और लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एस.एफ.ए.सी.) की केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा खरीद के मामले में वे संयुक्त रुप से राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (एन.एच.आर.डी.एफ.) के साथ मिलकर समयबद्ध आधार पर एक निदेशात्मक नियमावली तैयार

करेंगे। नियमावली में मात्रा/गुणवत्ता पैरामीटरों तथा खरीद/वितरण के हर स्तर पर प्रत्येक कार्य के लिए बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों का उल्लेख किया जाएगा। यह नियमावली एस.एफ.ए.सी. के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

4.2.8 राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों की एजेंसियों से इतर एजेंसियों तथा पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों के प्रस्तावों के मामले में ऋण करार निष्पादित किया जाएगा जिसमें सभी शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। ऐसे सभी करारों में एक खंड अनिवार्य रुप से डाला जाएगा ताकि सरकार द्वारा आवेदक से किसी भी समय किसी भी लेखा वर्ष के लेखे मंगवाए जा सकें और यदि आवश्यक हो तो आवेदक की बहियों की जांच करने के लिए किसी अधिकारी, विशेष रुप से इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का अधिकार मिल सके।

4.2.9 संबंधित करार/स्वीकृति–पत्र में ब्याज मुक्त ऋण मंजूर करने के लिए शीघ्र पुनर्भुगतान की शर्त रखी जाए। ऐसे मामलों में स्वीकृति पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि ऋण की वापसी में किसी तरह की त्रुटि होने की स्थिति में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज वसूल किया जाएगा।

5. कार्यान्वयन अवधि

यह योजना 2015–16 से 2016–17 के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। इस फंड को भावी वर्षों के लिए भी जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

6. योजना से संबंधित दिशानिर्देश में संशोधन

योजना के प्रचालन की शुरुआती अवधि में प्राप्त अनुभवों के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो योजना में संशोधन किया जा सकता है।

टिप्पणी